



F-07-08  
F-07-11

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलुरु  
MARATHAHALLI COLONY P.O  
BENGALURU – 560 037

**वर्ग अनुमोदन सं. : 1643 का संशोधन सहित नवीकरण**  
**Amendment cum Renewal of Type Approval Number 1643**

विषय / Sub : फिन नैविगेशन लाइट, पार्ट सं. जेएसएलआई-003-000

Fin Navigation Light, Part Number: JSLI – 003 – 000

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स जे एस लैम्प्स इंडस्ट्रीस, प्लॉट सं.9/32, पंजाब नैश्रल बैंक के सामने, पुरानी फरीदाबाद-121 002, द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित " फिन नैविगेशन लाइट" पार्ट सं.: जेएसएलआई-003-000 को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1643, दिनांक 19 जनवरी 2011, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1643 जारी किया गया था जिसकी वैधता 31 जनवरी 2016 तक था। तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1637 और 1643/एडीडीएम-1, दिनांक 11 मई 2011 द्वारा संशोधन जारी किया गया था।

*This is to state that the "Fin Navigation Light" bearing Part Number: JSLI – 003 – 000, designed, developed and manufactured by M/s J S Lamps Industries, Plot No. 9/32, Opposite Punjab National Bank, Old Faridabad – 121 002 was issued with Type Approval No.:1643 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1643, dated: 19<sup>th</sup> January 2011 with its validity up to 31<sup>st</sup> January 2016. Subsequently it was amended vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA –1637 & 1643/Addm –1, dated: 11<sup>th</sup> May 2011.*

2. उक्त वर्ग अनुमोदन के नियंत्रक विनिर्देश, उसके परिशिष्ट ' ए ' और उसके संशोधन में निम्नलिखित संशोधन लागू होगा।

*The following amendment is effected in the Governing Specification of the subject Type Approval, its Appendix 'A' and in its Amendment:*

<i>Wherever / For</i>	<i>Read As</i>
<i>General Technical Specification Report No.: HAL/ <b>ADA</b>/LCA/041200/025, Issue : NIL, dated: 21<sup>st</sup> December 1992</i>	<i>General Technical Specification Report No.: HAL/ <b>ADB</b>/LCA/041200/025, Issue : NIL, dated: 21<sup>st</sup> December 1992</i>



3. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 अगस्त 2017 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 जुलाई 2022 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (वायुयान), सेमिलैक, बेंगलूर - 560 037, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

*This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01<sup>st</sup> September 2017 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31<sup>st</sup> August 2022 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Aircraft), CEMILAC, Bengaluru - 560 037, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.*

4. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1643, दिनांक 19 जनवरी 2011 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

*The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1643, dated: 19<sup>th</sup> January 2011 is amended as stated herewith.*

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूर की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है।]”

*“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru - 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.*

5. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगे।

*All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.*

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070 /टी.ए/TA-1643/Amd1/1R  
दिनांक / Date : 09 September 2017  
फैक्स सं. / Fax No.: 080-25230856

*Ravi*  
*K. J. Jayapal*

*Phynal*  
(पी. जयपाल / P. JAYAPAL)  
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)  
Chief Executive (Airworthiness)